



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 09/09/2014 को समय अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.08.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Com.-III -	120	2014-15	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु. वि. रायपुर 2. डॉ. पी.सी. अग्रवाल, प्राचार्य, जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	निरीक्षण तिथि :- 19.08.2014 पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 612/अका./2014 दिनांक 28.06.2014 के परिपालन में आज निरीक्षण समिति के समन्वयक प्रो. आर. पी. दास एवं सदस्य प्रो. पी.सी. अग्रवाल ने अवलोकन किया। समिति ने निरीक्षण में पाया कि शास. महाविद्यालय, अभनपुर में अधोसंरचना पर्याप्त है संतोषप्रद है। समिति एक सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) में नियुक्ति की और ग्रंथालय हेतु 10000/-की पुस्तकें और क्रय करने की अनुशंसा करती है।
2	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. अंतिम वर्ष (गणित)	25	2014-15	1. प्रो. बी.के. शर्मा, गणित अध्ययनशाला 2. डॉ. पी.सी. अग्रवाल, प्राचार्य, शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महा., रायपुर 3. डॉ. अंजनी शुक्ल, प्राचार्य, शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., रायपुर 4. प्रो. व्यास नारायण दुबे, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला	निरीक्षण तिथि :- 30.08.2014 अधोसंरचना संतोषजनक है। शर्तें :- 1. विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों का पालन किया जावे। 2. आवश्यक शुल्क जमा किया जावे। 3. गणित में 75 हजार, पी.जी.डी.सी. में 40 हजार, बी.काम. में 30 हजार, राजनीति शास्त्र में 30 हजार हिंदी में 30 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने। 4. गणित में एक, पी.जी.डी.सी.ए. में एक, राजनीति शास्त्र में दो एवं हिंदी में 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शर्तों की पूर्ति के शर्त पर एम.एस.सी. गणित अंतिम, पी.जी.डी.सी.ए., बी.काम. प्रथम वर्ष, एम.ए. अंतिम राजनीति, एम.ए. अंतिम हिंदी सत्र 2014-15 से प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है।
		पी.जी.डी.सी.ए.	30			
		बी.काम.-प्रथम वर्ष	60			
		एम.ए. अंतिम वर्ष (राजनीति शास्त्र)	25	2013-14		
एम.ए. अंतिम वर्ष (हिन्दी)	30					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
3	देव संस्कृति कालेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, दुर्ग	PGDCA	30	2014-15	1. डॉ. संजय कुमार, रीडर कम्प्यूटर अ.शा. 2. डॉ. विनोद कुमार पटले, लेक्चरर, कम्प्यूटर अ.शा.	निरीक्षण तिथि : 21.08.2014 पत्र क्र. 979/अका./2014 दिनांक 14.08.2014 के संदर्भ में PGDCA 30 सीट के लिये निरीक्षण किया और पाया :- 1. अधोसंरचना संतोषजनक है। 2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 10 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. वाचनालय में (ग्रंथालय) में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की 10-10 पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है। 4. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। 5. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर क्रय किये जाये।
4	अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती, रायपुर	New Course B.B.A. 30 D.C.A. 30 M.S.W. 20 Seat Increase B.Com. 30	30 30 20 30	2014-15	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु. वि. वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, रीडर कम्प्यूटर अ.शा. 3. डॉ. अब्दुल करीम, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य, शास. महा. महासमुंद	निरीक्षण तिथि : 21.08.2014 पत्र क्र. 922/अका./2014 दिनांक 08.08.2014 के संदर्भ में निरीक्षण किया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. D.C.A. (30 सीट) के लिये 15 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. परिनियम 28 में दो कम्प्यूटर शिक्षकों को नियुक्त करना आवश्यक है। 4. पुस्तकालय में D.C.A. पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की कम से कम 5-5 पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। 5. College has adequate books in library for commerce and appointed 3 Teachers under 28 and 3 more are working on adhoc basis. 6. For running BBA programme they have to procure books worth Rs. 10,000 and already appointed one Teacher under Sec. 28 and one more need to be appointed. 7. For MSW programme two teachers are identified but are to be appointed under section 28. 8. Books worth Rs. 5000/- are urgently to be purchased fro MSW programme. 9. 8 classrooms are already existing and 4 are under construction will be under use within a month time. So infrastructure is adequate.

03. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार, शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय एवं सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

टीप :

(अ) छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-87/2014/38-1 रायपुर दिनांक 22.08.2014 के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की अनुमति जारी की गई है।

(ब) छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-79/2014/38-1 रायपुर दिनांक 13.08.2014 एवं पृ. क्र. एफ 3-102//2014/38-1 दिनांक 23.08.2014 के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में सीट वृद्धि हेतु जारी की गई है।

उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

04. अविवा कालेज, बैरन बाजार, रायपुर की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

टीप : अविवा कालेज, बैरन बाजार, रायपुर का सत्र 2014-15 में प्रवेशित छात्रों की संख्या शून्य है एवं महाविद्यालय बंद होने की सूचना अग्रणी महाविद्यालय शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को दी है। सत्र 2014-15 का वार्षिक सम्बद्धता शुल्क भी महाविद्यालय द्वारा वि.वि. कोष में जमा नहीं किया गया है। महाविद्यालय के आगामी सम्बद्धता के संबंध में प्रकरण विचारार्थ।

05. राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव के सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

टीप : राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव से प्राप्त पत्र क्र. 545 दिनांक 16.08.2014 के द्वारा सत्र 2014-15 से महाविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय संचालन बंद किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं राजनांदगांव समग्र विकास संस्थान, राजनांदगांव ने उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। महाविद्यालय में बी.काम., बी.सी.ए. तथा पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश भी निरंक है।

अतः महाविद्यालय के आगामी सम्बद्धता के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

06. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना --

1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला-धमतरी
2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पद्मनाभपुर, दुर्ग

टीप : उपरोक्त 4 महाविद्यालयों से सत्र 2011-12 से 2014-15 तक की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया है। शुल्क जमा कराये जाने के संबंध में प्रेषित पत्र का जवाब महाविद्यालय की ओर से अप्राप्त है। अतः उपरोक्त 4 महाविद्यालयों की आगामी सम्बद्धता के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

07. **Revised Regulation 149-B के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : अध्यक्ष, विधि अध्ययन मण्डल का पत्र क्र. 2238 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा एल.एल.एम. के ग्रेडिंग प्रणाली में Regulation No. 149-B में प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत। (पत्र की छायाप्रति संलग्न।)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन																																																
<p>कडिका 3 – A student shall be awarded Masters Degree who has obtained at least 5.0 Grade Point in a Course independently in theory and cut off aggregate is 50% in each Semester and Minimum of 6.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all four semesters.</p>	<p>A student shall be awarded Masters Degree who has obtained at least 5.0 Grade Point in a Course independently in theory and cut off aggregate is 50% in each Semester and Minimum of 5.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all four semesters.</p>																																																
<p>कडिका 4 – The student shall be declared successful and will be awarded CGPA/ Division through conversion of Percentage of Marks to Grade Point in 10 Point Scale in the following manner:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentage of Marks</th> <th>Grade Point</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 and above</td> <td>10</td> <td>First/ O</td> </tr> <tr> <td>80-89</td> <td>9</td> <td>First/ A</td> </tr> <tr> <td>70-79</td> <td>8</td> <td>First/ B</td> </tr> <tr> <td>60-69</td> <td>7</td> <td>First/ C</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>6</td> <td>Second/ D</td> </tr> <tr> <td>40-49</td> <td>5</td> <td>Third/ E</td> </tr> <tr> <td>Below 40</td> <td>4</td> <td>Dropped/ F</td> </tr> </tbody> </table>	Percentage of Marks	Grade Point	Description	90 and above	10	First/ O	80-89	9	First/ A	70-79	8	First/ B	60-69	7	First/ C	50-59	6	Second/ D	40-49	5	Third/ E	Below 40	4	Dropped/ F	<p>कडिका 4 – The student shall be declared successful and will be awarded CGPA/ Division through conversion of Percentage of Marks to Grade Point in 10 Point Scale in the following manner:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentage of Marks</th> <th>Grade Point</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 and above</td> <td>10</td> <td>First/ O</td> </tr> <tr> <td>80-89</td> <td>9</td> <td>First/ A</td> </tr> <tr> <td>70-79</td> <td>8</td> <td>First/ B</td> </tr> <tr> <td>60-69</td> <td>7</td> <td>First/ C</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>6</td> <td>Second/ D</td> </tr> <tr> <td>40-49</td> <td>5</td> <td>Third/ E</td> </tr> <tr> <td>Below 40</td> <td>0</td> <td>Dropped/ F</td> </tr> </tbody> </table>	Percentage of Marks	Grade Point	Description	90 and above	10	First/ O	80-89	9	First/ A	70-79	8	First/ B	60-69	7	First/ C	50-59	6	Second/ D	40-49	5	Third/ E	Below 40	0	Dropped/ F
Percentage of Marks	Grade Point	Description																																															
90 and above	10	First/ O																																															
80-89	9	First/ A																																															
70-79	8	First/ B																																															
60-69	7	First/ C																																															
50-59	6	Second/ D																																															
40-49	5	Third/ E																																															
Below 40	4	Dropped/ F																																															
Percentage of Marks	Grade Point	Description																																															
90 and above	10	First/ O																																															
80-89	9	First/ A																																															
70-79	8	First/ B																																															
60-69	7	First/ C																																															
50-59	6	Second/ D																																															
40-49	5	Third/ E																																															
Below 40	0	Dropped/ F																																															
<p>कडिका 8 – The matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Act/ Statute/ Ordinances/ regulations.</p>	<p>कडिका 8 – The matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Ordinances/ regulations.</p>																																																

08. **Revised Regulation 149-E के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : Ordinance 74 के संचालित M.Lib. I.Sc. Course में Grade एवं Credit Point शामिल करने हेतु तैयार Regulation 149 E द्वारा Marksheet/Result तैयारी के दौरान तकनीकी त्रुटी (Conflict between Ordinance 74 and Regulation 149 E) को ध्यान में रखते हुए Regulation 149 E में निम्नानुसार लघु संशोधन प्रस्तावित है –

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
<p>S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 6.0 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.</p>	<p>S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 5 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.</p>
<p>S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 6.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows: i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/reexamination along with the following semester examination. ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.</p>	<p>S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 5 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows: i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/reexamination along with the following semester examination. ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.</p>

Revised Regulation 149 E की प्रति संलग्न है।

09. **आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : गोपनीय विभाग से प्राप्त कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. **0.50 से 0.14 परफार्मेंस इन्डेक्स प्राप्त महाविद्यालयों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विचार करना।**

टीप : संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् से प्राप्त कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **दुर्गा महाविद्यालय में एम.फिल. वाणिज्य एवं राजनीति शास्त्र के सीट निर्धारण के संबंध में विचार करना।**

टीप : दुर्गा महाविद्यालय में एम.फिल. वाणिज्य एवं राजनीति शास्त्र में वर्तमान में 40 सीट में प्रवेश दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के एम.फिल. पाठ्यक्रमों में 10-10 सीट में प्रवेश दिया जा रहा है। अतः एम.फिल. के पाठ्यक्रम में सीट संख्या में एकरूपता के संबंध में प्रकरण विचारार्थ।

12. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, पुलगांव, दुर्ग जिला-दुर्ग
2	संत राजा राम सदाणी नागरिक महाविद्यालय, डौंडी लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)
3	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको भिलाई जि.-दुर्ग
4	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी रोड, अहेरी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
5	कर्मा माता कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
8	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
9	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पोस्ट-बिजभाटा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा
11	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, प्लॉट नं. 1268, ग्राम-चंद्रखुरी, जिला-दुर्ग
12	शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
13	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजा, जिला- बलौदाबाजार
14	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)
15	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला-बालोद (छ.ग.)
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद
17	शास. एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)
18	आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहेब शास. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला-कबीरधाम
19	शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)
20	सांदिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लॉट नं. 44, तह.-धमधा, मुरमुंदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
21	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
22	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग
23	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
24	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआंबांधा, भिलाई, जिला-दुर्ग
25	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग
26	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव-आर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
27	शास. चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
28	शास. महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) (सत्र 2013-14)
29	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-गरियाबंद (सत्र 2013-14)
30	भिलाई कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी वार्ड नं.-4, दुर्गा मंदिर वार्ड, जामुल, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
31	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
32	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0
33	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
34	जगद्गुरु शंकराचार्य कालेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई

13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 954 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 11 / 08 / 2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 11.08.2014 अपराह्न 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
3.	प्रो. भगवन्त सिंह	-	सदस्य
4.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
5.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
6.	प्रो. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
7.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.07.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	सी.आई.टी. साइंस एण्ड कामर्स कॉलेज, ग्राम-भेलवाडी ह, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Sc. I Year- <u>Maths Group-</u> Physics, Chemistry , Math	40	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 30.06.2014 वि.वि. के पत्र क्र. 559/अका. /2014 दिनांक 18.06.2014 के विषयांतर्गत निरीक्षण समिति ने सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महा. भेलवाडीह, अभनपुर का निरीक्षण 30.06.2014 को किया एवं पाया :- 1. बी.एस.सी. गणित समूह की 40 सीट एवं बी.एस.सी. बायो समूह की 40 सीट हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है। क्लासरूम, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन प्रयोगशालाओं का निर्माण हो चुका है, किन्तु रसायन प्रयोगशाला का की आंतरिक व्यवस्था (गैस, पानी एवं प्लेटफार्म) निर्माणाधीन है। 2. महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य, सात शिक्षकों (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, हिन्दी	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
		B.Sc. I Year- <u>Bio Group-</u> Chemistry, Botany, Zoology	40			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>एवं अंग्रेजी) एवं एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति (तदर्थ) फाईल में दर्शायी गई है किन्तु निरीक्षण के समय एकमात्र अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध थे।</p> <p>3. भौतिकी, रसायन, वनस्पती विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान की प्रयोगशाला में छात्र अनुपात में उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>4. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित एवं बायो समूह) के प्रत्येक विषय में वि.वि. के पाठ्यक्रम में उल्लेखित पाठ्य पुस्तकों का क्रय छात्र अनुपात में किया जाये।</p>	
2	शास. शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	B.A. Part-III, B.Com.-III	60 60	2014-15	<p><u>निरीक्षण तिथि :- 19.07.2014</u></p> <p>महाविद्यालय में स्वयं का शासकीय भवन है। वाणिज्य में एक शिक्षक है। कला संकाय में अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र में एक-एक शिक्षक है। शेष विषयों के शिक्षक तथा वाणिज्य के शेष शिक्षक जनभागीदारी एवं अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्त करने का आश्वासन प्राचार्य ने दिया है। प्राचार्य द्वारा विषयवार कला संकाय, के लिये 25 हजार तथा वाणिज्य संकाय के लिये 25000/- की पुस्तकें शुरू करने का आश्वासन दिया है। बी.ए. भाग-3 के लिये 60 सीट तथा बी.काम. भाग-3 के लिये 60 सीट की पात्रता है। शेष आधारभूत संरचना पर्याप्त है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3	शास. रानी अवंतीबाई लोधी महा. घुमका	M.A. Final Year - Hindi	40	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 02.08.2014</p> <ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक सत्र 2013-14 से एम.ए. पूर्व (I & II Semester) हिंदी की कक्षाएं शासन की अनुमति एवं विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्ति के पश्चात से संचालित। विश्वविद्यालय द्वारा 40 सीट के लिए अनुमति प्रदत्त। एक नियमित सहायक प्राध्यापक एवं जनभागीदारी मद से दो शिक (विषय के) कार्यरत। क्लास रूम की व्यवस्था है। पुस्तकालय में विषय से संबंधित पुस्तकें पर्याप्त। एम.ए. पूर्व की तरह एम.ए. अंतिम के लिए 40 सीटों पर प्रवेश हेतु अनुमति दिया जाना उचित होगा। 	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, जिला-बेमेतरा	<p>B.A. II & III (FC, Hindi Litt. English Litt. Sociology, Political Sc.)</p> <p>B.Sc. II & III (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)</p> <p>B.Com. II & III Compulsory sub.</p>	<p>64</p> <p>64</p> <p>60</p>	<p>2009-10 एवं 2010-11</p>	<p>निरीक्षण तिथि :- 16.07.2014</p> <p>महाविद्यालय में आधारभूत संरचना पर्याप्त है। महाविद्यालय में हिंदी, गणित तथा समाजशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिशास्त्र में प्रत्येक में एक-एक सहायक प्राध्यापक नियमित है। शेष शिक्षकों की पूर्ति "अतिथि व्याख्याता" की नियुक्ति कर किया जाता है। पुस्तकालय में कुल 2800 के लगभग सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है। प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। खेल मैदान भी है। महाविद्यालय को पात्रता है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
5	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर	D.C.A.	30	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 09.08.2014</p> <p>पत्र क्र. 901/अका./2014 दिनांक 07.08.2014 के अनुक्रम में निरीक्षण किया और पाया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय की अधोसंरचना संतोषजनक है। 2. महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिचय 28 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। प्रस्तावित D.C.A. पाठ्यक्रम (30 सीट) के लिए कम से कम दो शिक्षक परिचय 28 के तहत नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। 3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की 5-5 पुस्तकें क्रय किया जाने की आवश्यकता है। 4. कम से कम 15 और कम्प्यूटरों का क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 5. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है। 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।</p> <p>परिचय 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>

03. सत्र 2014-15 की वार्षिक सम्बद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-


क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर (छ.ग.)
3	प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना रायपुर (छ.ग.)
4	शास. एल.सी.एस. महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
5	कान्प्लूएन्स कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव (छ.ग.)
6	एम.जे. कॉलेज आफ इफ. टेक्नालॉजी, भिलाई जिला-दुर्ग
7	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
8	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
9	कला महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला-धमतरी
10	शास. स्व. श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
11	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
12	श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, दिग्विजय स्टेडियम कैम्पस, राजनांदगांव (छ.ग.)
13	अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन-511, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
14	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला- बलौदाबाजार
15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
16	एलिंगेन्ट कॉलेज, मोतीनाथ मंदिर कैम्पस, भरकापारा, राजनांदगांव (छ.ग.)
17	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई नगर जिला-दुर्ग

60	नवीन शासकीय महाविद्यालय बेलौदी, जिला-बालोद
61	शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार
62	शास. जी.एन.ए. कॉलेज, भाटापारा, जिला-रायपुर
63	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला- बलौदाबाजार
64	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुस (राजिम) जिला-गरियाबंद
65	शास. राजीव लोचन महा. राजिम, जिला-गरियाबंद
66	गुरुकुल इंस्टिट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
67	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय धमतरी

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 955 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 11 / 08/2014

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र.

/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक: /08/2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 11.08.2014 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.07.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	सी.आई.टी. साइंस एण्ड कामर्स कॉलेज, ग्राम-भेलवाडीह, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Sc. I Year- Maths Group- Physics, Chemistry , Math	40	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 30.06.2014 वि.वि. के पत्र क्र. 559/अका./2014 दिनांक 18.06.2014 के विषयांतर्गत निरीक्षण समिति ने सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महा. भेलवाडीह, अभनपुर का निरीक्षण 30.06.2014 को किया एवं पाया :- 1. बी.एस.सी. गणित समूह की 40 सीट एवं बी.एस.सी. बायो समूह की 40 सीट हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है। क्लासरूम, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन प्रयोगशालाओं का निर्माण हो चुका है, किन्तु रसायन प्रयोगशाला का की आंतरिक व्यवस्था (गैस, पानी एवं प्लेटफार्म) निर्माणाधीन है। महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य, सात शिक्षकों (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति (तदर्थ) फाईल में दर्शायी गई है किन्तु निरीक्षण के समय एकमात्र अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध थे।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>2. भौतिकी, रसायन, वनस्पती विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान की प्रयोगशाला में छात्र अनुपात में उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित एवं बायो समूह) के प्रत्येक विषय में वि.वि. के पाठ्यक्रम में उल्लेखित पाठ्य पुस्तकों का क्रय छात्र अनुपात में किया जाये।</p>	
पालन : आदेश पत्र क्र. 958/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 12.08.2014 जारी किया गया।						
2	शास. शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	B.A. Part-III, B.Com.-III	60 60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.07.2014</p> <p>महाविद्यालय में स्वयं का शासकीय भवन है। वाणिज्य में एक शिक्षक है। कला संकाय में अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र में एक-एक शिक्षक है। शेष विषयों के शिक्षक तथा वाणिज्य के शेष शिक्षक जनभागीदारी एवं अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्त करने का आश्वासन प्राचार्य ने दिया है। प्राचार्य द्वारा विषयवार कला संकाय, के लिये 25 हजार तथा वाणिज्य संकाय के लिये 25000/- की पुस्तकें शुरू करने का आश्वासन दिया है। बी.ए. भाग-3 के लिये 60 सीट तथा बी.काम. भाग-3 के लिये 60 सीट की पात्रता है। शेष आधारभूत संरचना पर्याप्त है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : आदेश पत्र क्र. 1197/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 03.09.2014 जारी किया गया।						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3	शास. रानी अवंतीबाई लोधी महा. घुमका	M.A. Final Year - Hindi	40	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 02.08.2014</p> <p>1. शैक्षणिक सत्र 2013-14 से एम.ए. पूर्व (I & II Semester) हिंदी की कक्षाएं शासन की अनुमति एवं विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्ति के पश्चात से संचालित। विश्वविद्यालय द्वारा 40 सीट के लिए अनुमति प्रदत्त।</p> <p>2. एक नियमित सहायक प्राध्यापक एवं जनभागीदारी मद से दो शिक्षक (विषय के) कार्यरत।</p> <p>3. क्लास रूम की व्यवस्था है। पुस्तकालय में विषय से संबंधित पुस्तकें पर्याप्त।</p> <p>4. एम.ए. पूर्व की तरह एम.ए. अंतिम के लिए 40 सीटों पर प्रवेश हेतु अनुमति दिया जाना उचित होगा।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : आदेश पत्र क्र. 1195/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 03.09.2014 जारी किया गया।

4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, जिला-बेमेतरा	B.A. II & III (FC, Hindi Litt. English Litt. Sociology, Political Sc.)	64	2009-10 एवं 2010-11	<p>निरीक्षण तिथि :- 16.07.2014</p> <p>महाविद्यालय में आधारभूत संरचना पर्याप्त है। महाविद्यालय में हिंदी, गणित तथा समाजशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिशास्त्र में प्रत्येक में एक-एक सहायक प्राध्यापक नियमित है। शेष शिक्षकों की पूर्ति "अतिथि व्याख्याता" की नियुक्ति कर किया जाता है। पुस्तकालय में कुल 2800 के लगभग सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है। प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। खेल मैदान भी है। महाविद्यालय को पात्रता है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		B.Sc. II & III (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	64			
		B.Com. II & III Compulsory sub.	60			

पालन : आदेश पत्र क्र. 1216/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 04.09.2014 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
5	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर	D.C.A.	30	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 09.08.2014 पत्र क्र. 901/अका./2014 दिनांक 07.08.2014 के अनुक्रम में निरीक्षण किया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय की अधोसंरचना संतोषजनक है। 2. महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिनियम 28 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। प्रस्तावित D.C.A. पाठ्यक्रम (30 सीट) के लिए कम से कम दो शिक्षक परिनियम 28 के तहत नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। 3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की 5-5 पुस्तकें क्रय किया जाने की आवश्यकता है। 4. कम से कम 15 और कम्प्यूटरों का क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 5. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
पालन : आदेश पत्र क्र. 956/अका./सम्बद्धता/2014 दिनांक 11.08.2014 जारी किया गया।						

03. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर (छ.ग.)
3	प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना रायपुर (छ.ग.)
4	शास. एल.सी.एस. महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
5	कान्फ्लूएन्स कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव (छ.ग.)
6	एम.जे. कॉलेज आफ इंफ. टेक्नालॉजी, भिलाई जिला-दुर्ग
7	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
8	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
9	कला महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला-धमतरी
10	शास. स्व. श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
11	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
12	श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, दिग्विजय स्टेडियम कैम्पस, राजनांदगांव (छ.ग.)
13	अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन-511, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
14	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला- बलौदाबाजार

15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
16	एलिंगेन्ट कॉलेज, मोतीनाथ मंदिर कैम्पस, भरकापारा, राजनांदगांव (छ.ग.)
17	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई नगर जिला-दुर्ग
18	शास. स्व. डी.आर.एस. महा. कसडोल, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
19	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
20	एलायंस इस्टी. आफ कामर्स एंड, मैनेजमेंट, जैन मिलन, जैन मंदिर के बाजू सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग
21	इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
22	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय एकता नगर, गुढियारी, रायपुर (छ.ग.)
23	वीरांगना अवंति बाई शास. महा. छुईखदान, जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)
24	शास. महाविद्यालय धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)
25	शास. कोदूशम दलित महाविद्यालय, नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
26	काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी (छ.ग.)
27	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर
28	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
29	शैल देवी महाविद्यालय, प्लाट नं. 763, स्ट्रीट नं. 25/35, ग्राम-अण्डा, जिला-दुर्ग
30	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
31	ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
32	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल, महा. अभनपुर, जिला-रायपुर
33	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
34	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर (छ.ग.)
35	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
36	प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महा. रत्नाबांधा, धमतरी (छ.ग.)
37	नवीन शास. कालेज भखारा, जिला-धमतरी
38	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला-धमतरी
39	शास. स्व. सी.एल.एस. महा. धमतरी
40	वंदेमातरम् महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी (छ.ग.)
41	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी (छ.ग.)
42	जय हिंद महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)
43	रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराईपाली (छ.ग.)
44	शास. महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
45	शासकीय कॉलेज मोहला, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
46	शास. महाविद्यालय, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
47	शास. नेहरू महा. डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
48	शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महा. सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
49	शास. शिवनाथ साईंस महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
50	शास. वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रामाटोला जिला-राजनांदगांव
51	शास. घनश्याम सिंह गुप्त महा. बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)
52	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी-लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)
53	माता कर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय गुण्डरदेही जिला-बालोद (छ.ग.)
54	रायल कालेज, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
55	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर (छ.ग.)
56	सी.आई.टी. बी.एड. कालेज, खसरा नं.-160, स्ट्रीट-एन.एच.-43, ग्राम-भेलवाडीह, पोस्ट-उपरवारा, जिला-रायपुर
57	क्रुति स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर (छ.ग.)
58	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज आफ मैनेजमेंट, छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर

59	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-483/1, पं.र.शु.वि.वि. जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमि, रायपुर (छ.ग.)
60	नवीन शासकीय महाविद्यालय बेलौदी, जिला-बालोद
61	आस. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार
62	शास. जी.एन.ए. कॉलेज, भाटापारा, जिला-रायपुर
63	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला- बलौदाबाजार
64	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-गरियाबंद
65	शास. राजीव लोचन महा. राजिम, जिला-गरियाबंद
66	गुरुकुल इंस्टिट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
67	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय धमतरी

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

पालन : कार्यवाही की जा रही है।


उप कुलसचिव (अका.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

Shri P. S. Singh
19/08/2014
19

क्रमांक एफ 3-87/2014/38-1,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/08/2014

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

J.P.S.
1/2

विषय :- वर्ष 2014-15 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु।

संदर्भ :- आपका जावक क्रमांक 721/आ.उ.शि. दिनांक 19.06.2014

00

राज्य शासन एतद् द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2014 तथा एफ 3-123/2013, दिनांक 10.07.2014 के द्वारा निम्न महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये हैं। तदनुसार इन महाविद्यालयों में निम्नानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय का नाम	छात्र संख्या
01	शासकीय महाविद्यालय वैशालीनगर, जिला- दुर्ग	एम.एस.-सी. रसायन शास्त्र	15
		एम.ए.अग्रजी	30
		एम.ए.अर्थशास्त्र	30
02	राजकीय महाविद्यालय सारंगढ़	एम.एस. अर्थशास्त्र	30
03	शासकीय पंडित अवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़	एम.ए.अग्रजी	30
		एम.एस.-सी. प्राणीशास्त्र	15
04	शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव	एम.एस.-सी. वनस्पति शास्त्र	15
		एम.एस.-सी. गणित	15
05	शासकीय शहीद गेव सिंह महाविद्यालय चारामा	एम.कॉम. वाणिज्य	30
		एम.ए. राजनीति शास्त्र	30
06	शासकीय महाविद्यालय हसीद	एम.ए. हिन्दी	30
		एम.ए. अग्रजी	30
07	शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय केशकाद	एम.ए. भूगोल	30
08	महाप्रभु बल्लभाचार्य शास्त्र. स्नातकोत्तर महावि. महासमुद्र	एम.एस.-सी. गणित	15
		एम.एस.-सी. वनस्पतिशास्त्र	15
09	शास्त्र. लाहड़ो महाविद्यालय चिरामरी	एम.एस.-सी. वनस्पतिशास्त्र	15
		एम.एस.-सी. प्राणीशास्त्र	15
10	शास्त्र. व. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	एम.ए. राजनीति विज्ञान	30
		एम.एस.-सी. गणित	15
11	शास्त्र. सुन्दर वधेल स्नातकोत्तर महावि. भिलानई-3	एम.ए. अग्रजी	30

निस्तर

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)

योगिता

3/11

12	शास. प्रत्या स्नातकोत्तर महावि. दुर्ग	एम.एस.-सी. वनस्पतिशास्त्र	15
		एम.एस.-सी. गणित	15
13	शास. महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी	एम.ए. अर्थशास्त्र	30
14	शास. महाविद्यालय थानरखम्हरिया	एम.ए. राजनीति विज्ञान	30
		एम.ए. भूगोल	30
15	शास. मिली माता महाविद्यालय ककरवा	एम.ए. समाजशास्त्र	30
16	शास. महाविद्यालय किरन्दुल	एम.एस.-सी. प्राणीशास्त्र	15
17	आचार्य पद्मश्री गधमूनि नान साहय शान पी.जी. महाविद्यालय ककरवा	एम.ए. समाजशास्त्र	30
		एम.ए. इतिहास	30
18	शास. गजानंद अधवाल महाविद्यालय, पाटापद	एम.ए. अंग्रेजी	30
18	श्री गुरु धासीदारा शास. स्नात. महा. कुरुद	एम.ए. अंग्रेजी	30
20	शास. रामभजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जशपुर	एम.एस.-सी. गणित	15
21	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतवाडा	एम.एस.-सी. गणित	15
		एम.एस.-सी. भौतिक शास्त्र	15
		एम.एस.-सी. रसायन शास्त्र	15

2/- उपर्युक्त महाविद्यालयों में उक्त विषयों में दिनांक 30/08/2014 तक प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

उत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक /08/2014

पृ. क्रमांक एक 3-87/2014/33-1.

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय सत्री जी, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. महालेखाकार उत्तीसगढ़ रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.ग.)
5. अवर सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. क्षेत्रीय अवर संचालक, बस्तर/सराजूजा/दिलासपुर,
7. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय
8. संबंधित जिला कार्यालय अधिकारी, जिला-
9. आदेश कोन्डर।

(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

उत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Dr. Agnani
M.A. for me
25/8/14

Dr. Palshur
19

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 19/08/2014

क्र. एफ 3-79/2014/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा शासकीय महाविद्यालयों में उनके समक्ष दर्शाए गए विषयों में निम्नलिखित तालिका के कॉलम नं. 05 अनुसार अतिरिक्त सीट संख्या में वृद्धि करता है:-

क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त सीट संख्या	सीट वृद्धि के पश्चात् कुल सीट संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय दूधम महिला स्नातको. महावि. रायपुर	एम०एस०सी० गणित	30	5	35
2	शास. बंदीप्रसाद महावि. आरंग	बी०कॉम०प्रथम वर्ष	80	20	100
		बी०ए०प्रथम वर्ष	160	30	190
		बी०एस०सी० बायो समूह	64	11	75
		बी०एस०सी० गणित समूह	64	11	75
3	शास. महावि. विलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार भाटापाश	बी०ए०प्रथम वर्ष	255	45	300
4	बी०सी०एस० शास. स्नातको. महावि. धमतरी	एम०ए०भूगोल	20	5	25
		एम०एस०सी० रसायनशास्त्र	15	5	20
5	शासकीय महावि. भखारा	बी०ए०प्रथम वर्ष	180	30	190
		बी०कॉम०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी० बायो समूह	120	25	145
		बी०एस०सी० गणित समूह	40	10	50
		एम०ए०हिन्दीसाहित्य	25	5	30
6	शासकीय डॉ० बा०पाटणकर कन्या स्नातको महावि० पुर्ण जिला-दुर्ग।	एम०एस०सी० गृहविज्ञान (आहार एवं पोषण)	16	4	20
7	शासकीय डॉ०के०सी०वी० स्नातको.महावि. गिलाई 3 जिला-पुर्ण	पी०जी०डी०सी०ए०	30	5	35
8	शासकीय चन्डूलाल चन्द्राकर महावि. पाण्डुर जिला-दुर्ग	पी०जी०डी०सी०ए०	30	5	35
9	शासकीय दामवीर तुलाराम महावि. उत्तई	बी०कॉम० प्रथम वर्ष	60	10	70
10	शास. महावि. खेरथा जिला- बालोद	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष	60	10	70
11	शास. महावि. गुरुर जिला- बालोद	बी०एस०सी०बायो प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०कॉम प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी०प्रथम वर्ष	120	20	140

02350
26-8-14

55

//2//

12	शास. महावि. मंगुचवा जिला-बाहीद	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी०प्रथम वर्ष	60	10	70
13	शास.दिविजय महावि. राजनांदगांव	डी०सी०ए०	30	5	35
		पी०जी०डी०सी०ए०	30	05	35
14	शनी रश्मिदेवी सिंह शास. महाव. खैरागढ जिला-राजनांदगांव	बी०ए०प्रथम वर्ष	160	30	190
		बी०एस०सी० बायो ग्रुप प्रथम वर्ष	160	30	190
15	शास.शनी सूर्यमुखी देवी महावि. छुरिया जिला-राजनांदगांव	बी०ए०प्रथम वर्ष	120	25	145
16	शास.लाल चक्रधर शाह महावि. अम्बागढ़ चौकी जिला-राजनांदगांव	बी०एस०सी० प्रथम वर्ष बायोग्रुप	100	20	120
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष गणितग्रुप	60	10	60
17	शास.राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महावि. कवर्धा जिला-कवीरधाम	बी०एस०सी०प्रथम वर्ष बायोग्रुप	100	20	120
18	शास. दन्तेश्वरी रानातकी महावि. दन्तेवाडा	बी०ए०प्रथम वर्ष	180	35	215
		बी०एस०सी० (बायो) प्रथम वर्ष	90	20	110
19	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय दन्तेवाडा	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी० (बायो) प्रथम वर्ष	60	10	70
20	शास. पातालेश्वर महावि. भरतपुर जिला-विलासपुर	बी०एस०सी०बायोग्रुप प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी०गणित ग्रुप प्रथम वर्ष	60	10	70
		एम०ए०हिन्दी साहित्य	20	05	25
21	शास.एम.एल.एस. महावि. सीपत जिला-विलासपुर	बी०एस०सी० प्रथम वर्ष बायो समूह	40	10	50
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष गणित समूह	40	10	50
		बी०कॉम० प्रथम वर्ष	40	10	50
22	शास० महामाया महावि. रतनपुर जिला-विलासपुर	बी०कॉम० प्रथम वर्ष	40	10	50
		बी०एस०सी०कम्प्यूटर साईंस	15	05	20
23	शास. स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर	बी०ए०भाग.1/2/3	60	10	70
		बी०एस०सी० भाग -1/2/3	60	10	70
		बी०कॉम०भाग 1/2/3	60	10	70
		एम०ए०पूर्व अर्थशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०पूर्व समाजशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०पूर्व राजनीतिशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०पूर्व भूगोल	20	05	25
		एम०ए० अंतिम समाजशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०अंतिम राजनीतिशास्त्र	20	05	25
		एम०ए०अंतिम भूगोल	20	05	25
24	शास.ई.वि. रानतकी महावि. कोरवा	पी०जी०डी०सी०ए०	40	05	45
		पी०जी०डी०बी०एम०	40	05	45
25	शास.ग्राम्य भारतीय महावि. हरदीवाजार	बी०कॉम० प्रथम वर्ष	80	15	95


3/2/14
P. 05

// 3 //

		एम०एस०सी०पूर्व रसायन शास्त्र	25	05	30
		एम०एस०सी०पूर्व गणित	30	05	35
		एम०एस०सी०पूर्व प्राणीशास्त्र	30	05	35
		एम०एस०सी०पूर्व धनरपति शास्त्र	30	05	35
26	शासकीय महाविद्यालय करतला जिला-कोरवा	बी०ए०प्रथम वर्ष	60	10	70
		बी०एस०सी० बायोसमूह	60	10	70
27	शासकीय महाविद्यालय भैरमा जिला-कोरवा।	बी०ए०प्रथम वर्ष	160	30	190
		बी०कॉम० प्रथम वर्ष	40	05	45
		एम०ए०समाजशास्त्र	20	05	25
		एम०कॉम०	20	05	25
28	शासकीय नदीन महाविद्यालय बलौदा जिला-जांजगीर चांपा	बी०ए०प्रथम वर्ष	80	15	95
		बी०एस०सी०बायो समूह	60	10	70
29	शासकीय कर्ली कुमार भारतीय महावि. सक्ती जिला जांजगीर चांपा	बी०ए०प्रथम वर्ष	70	15	85
		बी०कॉम०प्रथम वर्ष	30	05	35
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष	50	10	60
30	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरीदा जिला- जांजगीर चांपा	बी०ए०प्रथम वर्ष	150	30	180
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष बायोग्रुप	100	20	120
		एम०ए०पूर्व संस्कृत	40	05	45
31	शासकीय महाविद्यालय उदयपुर जिला सरगुजा	बी०ए०प्रथम वर्ष	80	20	100
		बी०कॉम० प्रथम वर्ष	30	05	35
		बी०एस०सी० प्रथम वर्ष	30	05	35
32	शासकीय महाविद्यालय वागवाहरा जिला महासमुंद	बी०ए०भाग-1	180	35	215
		बी०एस०सी०भाग-1गणित	50	10	60
		बी०एस०सी०भाग-1बायो	50	10	60
33	शासकीय वेत्तराम महावि. मालखरीदा जिला-जांजगीर चांपा	बी०ए०भाग-1	160	30	190
		बी०एस०सी० प्रथमबायो ग्रुप	50	10	60
		बी०एस०सी० प्रथम गणित ग्रुप	10	05	15
34	शास.भानुप्रतापदेव महावि.कांकेर	बी०ए०भाग-1	320	65	385
		बी०एस०सी०-भाग1	160	30	190
		बी०कॉम०भाग-1	160	30	190
		एम०कॉम०पूर्व	10	05	15
		एम०ए०पूर्व इतिहास	10	05	15
		एम०ए०पूर्व हिन्दी	10	05	15
		एम०ए०पूर्व अर्थशास्त्र	10	05	15
		एम०ए०पूर्व समाजशास्त्र	10	05	15
		एम०ए०पूर्व राजनीति शास्त्र	10	05	15
		एम०ए०पूर्व भूगोल	10	05	15

1/8/14

4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव जुलाई, 2014 से प्रभावशील रहेगा।
5. उपरोक्त महाविद्यालयों के उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 14.08.2014 के स्थान पर 30.08.2014 होगी।



(अरुण कुमार चाँदे)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 13/08/2014

पृ.क्रमांक एफ 3-79/2014/38-1
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक मान. मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला -
5. डॉ. व्ही.के.गोयल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0),
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला -
7. संबंधित प्राचार्य।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आवेश फोल्डर।


अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

D. Palshu
M
5/8

::आदेश::

रायपुर, दिनांक /08/2014

कमांक -एफ 3-102/2014/38-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न शासकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त सीट संख्या में वृद्धि की सहमति प्रदान करता है :-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	विषय	अतिरिक्त सीट संख्या
1	शासकीय स्नातकोत्तर महा. जिला-महासमुन्द	एम.एस-सी.रसायन शास्त्र	10(दस)
		पी0.जी.डी.सी.ए.	10(दस)
2	शासकीय स्नातकोत्तर महा. भिलाई -3 जिला दुर्ग	पी0जी0डी0सी0ए0	10(दस)
3	शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार	बी0काम0	10(दस)
		बी0ए0	10(दस)

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी:-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का शैक्षणिक सत्र 2014-15 से प्रभावशील रहेगा।
5. उपरोक्त महाविद्यालयों के उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय में अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु अंतिम तिथि दिनांक 14-08-2014 के स्थान पर 30-08-2014 होगी।

S/D
(अरुण कुमार चौदे)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 23/08/2014

पृ. कमांक -एफ 3-102/2014/38-1
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव को सूचनार्थ एवं कार्योत्तर अनुमोदन हेतु।
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।(छ0ग0)
6. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
7. कुल सचिव, पंडित रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर।
8. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. आदेश फोल्डर।

3/8/14
23/8/14

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
(विधि अध्ययनशाला)

क्रमांक 2238 / विधि / 2014

रायपुर, दिनांक 20-8-14

प्रति,

उपकुलसचिव (अका.)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Regulation No. 149- B में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधि अध्ययनशाला के एल एल0 एम0 के ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित Regulation No. 149- B निम्नलिखित संशोधन किया गया है :-

1. कंडिका 3 में Minimum of 6.0 के बदले Minimum of 5.0 किया गया है।
2. कंडिका 4 में Below 40 में Grade Point 4 के बदले 00 किया गया है।
3. कंडिका 8 में Provision of the University Act/Statute/Ordinance/Regulations के बदले Provision of University Ordinance/Regulation किया गया है।
Act/Ordinance को हटा दिया गया है।

कृपया अनुरोध है कि यथशीघ्र उक्त Revised Regulation No. 149- B पारित करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे तथा निवेदित है कि संबंधित समिति में पारित के प्रत्यक्षा में माननीय कुलपति महोदय जी से अनुमोदित करवाने का कष्ट करें ताकि एल एल0 एम0 की परीक्षा परिणाम यथशीघ्र घोषित किये जा सकें।

संलग्न :- Old Ordinance की प्रति
तथा संशोधित Ordinance

भवदीय,
(डॉ. सी. एल. पटेल)
चेयरमेन
विधि अध्ययनशाला मंडल

Revised
Regulation No. 149-B
(E.C. Under -----)

[Inclusion of Grade and Credit Points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the University under the Ordinance-60]

1. The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the Law under the provision of the ordinance 60.
2. A student has to earn minimum number of prescribed credits in each Semester in their respective subject and a total of 80 credits for the entire course of study as specified in the syllabus.
3. A student shall be awarded Masters Degree who has obtained at least 5.0 Grade Points in a Course independently in theory and cut off aggregate in 50% in each Semester and Minimum of 5.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all four Semesters.
4. The student shall be declared successful and will be awarded CGPA/Division through conversion of Percentage of Marks of Grade Point in 10 Point Scale in the following manner :

Percentage of Marks	Grade Point	Description
91 and above	10.00	First/O
81-90	09.00	First/A
71-80	08.00	First/B
61-70	07.00	First/C
51-60	06.00	Second/D
40-50	05.00	Second/E
Below 40	00.00	Dropped/F



5. Calculation of SGPA :

$$\sum \frac{(\text{Credit of the Course X Grade Point})}{\text{Total Credit in the Semester}}$$

6. Calculation of CGPA :

$$\sum \frac{(\text{Credit Point of all previous + Current Semesters})}{\text{Credits of all previous + Current Semesters}}$$

7. (1) A students failing to appear or securing less than 5.0 SGPA in any Semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following Semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I, II, III or IV semesters.
- (2) A students failing to qualify the examinations of any Semester shall be permitted to appear in the ATKT/re-examinations along with the following Semester examination.
- (3) The provision of revaluation and re-totaling will not be available.
8. The matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Ordinance/Regulation.



Revised

Revised Regulation – 149 E (Master of Library & Information Science)

(Inclusion of Grade and Credit points (CGPA) in mark sheets of the students of M Lib I Sc course running under the Ordinance No 74.)

1. a. The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing M Lib I Sc course under the provision of Ordinance 74.
- b. The provisions of Ordinance 74 should be followed prior to application of regulation 149 E. Likewise the grace marks, if eligible, will be awarded prior to the application of credit points and 'Description' modified manually.
2. A student has to earn minimum number of prescribed credits in each semester and a total of 40 credits for the entire course of study as specified in the syllabus.
3. A student shall be awarded Master of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade point in theory / internal assessment and a minimum of 5.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.
4. The student shall be declared successful and will be awarded CGPA / Division through conversion of percentage of marks to Grade Point in 10 point scale in the following manner:

Percentage of Marks	Grade Point	Description
90 and above	10	First / O
80 to 89	9	First / A
70 to 79	8	First / B
60 to 69	7	First / C
50 to 59	6	Second / D
36 to 49	5	Third / E
Below 36	4	Dropped / Grace* / G

- If eligible: 1 grace mark could be given but it will not be added to the total. However, the candidate be evaluated to the category of grade point 4.

5. Calculation of SGPA:

$$\sum \frac{(\text{Credit of the paper} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the semester}}$$

6. Calculation of CGPA:

$$\sum \frac{\text{Credit points of I and II semesters}}{\text{Credits of previous and current semester}}$$

7. A student failing to appear or securing less than 5.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the course for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate with ATKT or ATKT status in I and II semester and their scheme of examination shall be as follows:
 - i. A student failing to qualify the examination of any semester shall be permitted to appear in the ATKT / re-examination along with the following semester examination.
 - ii. The provision of revaluation and re-totalling will not be available.
8. The matter not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the university Act / Statute / Ordinances / Regulations.

3/7/14

विषय:— आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार करने के मानक बाबत।

संशोधित अध्यादेश क्रमांक – 170 क अनुसार स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा योजना (स्कीम) में छात्र को आंतरिक मूल्यांकन में 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यद्यपि अध्यादेश क्रमांक – 170 में आंतरिक मूल्यांकन कहीं नहीं है। अध्यादेश क्रमांक – 170 की कंडिका – 03 में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का उल्लेख है।

इसी प्रकार वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्नपत्र में यदि छात्र 20 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करता है तथा एग्ग्रेट 36 प्रतिशत पूर्ण नहीं करता है तो उसके ए.टी. के.टी. की पात्रता दी जाती है। (अध्यादेश क्रमांक – 170 की कंडिका – 04) उसी प्रकार परीक्षाफल में छात्र आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित अथवा 20 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर उक्त छात्र को ए.टी.के.टी. प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त प्रकरण में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्ययन शाला से आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों को अनुपस्थित दर्शाकर पुनः वर्तमान अध्ययनरत सेमेस्टर के परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के साथ अंक भेजा जाता है। समस्या यह है की अंक स्वीकार करने का मानक क्या होना चाहिए ?

अतएव समस्या के निराकरण हेतु अध्यादेश में आंतरिक मूल्यांकन 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य को जोड़ने एवं इसके निदान हेतु संकायाध्यक्षों से अभिमत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।



Revised ORDINANCE NO. 170
Ordinance for Semester System

1. *	The Master of Arts/Science/Commerce/ <u>Social work</u> courses shall be spread over four semesters. In each Semester, there shall be theory courses and wherever required practical courses (Laboratory work, semester field work, project work etc.). Written and Practical Examinations shall be completed by the end of the each Semester. There shall be numerical marking in evaluation
2. *	(i) A Candidate who has obtained a Bachelor's degree of this University or of a statutory University recognized by this University as equivalent to the Bachelor's Degree shall be eligible to seek admission in M.A/MSW (Master of Social Work) courses of the University
	(ii) A candidate who has obtained Bachelor of Science (B.Sc.) Degree of this University or of statutory University as equivalent to Bachelor's Degree shall be eligible to seek admission in M.Sc. Courses of the University.
	a) Provided that a candidate shall be eligible for admission in only those subjects which he/she has offered in B.Sc. degree.
	Further provided that:
	b) For admission in M.Sc. Anthropology and Rural Technology there shall be no barrier of subject at B.Sc. level,
	c) For admission in M.Sc. Physics, a candidate must have offered Mathematics at B.Sc. level,
	d) For admission in M.Sc. Electronics, a candidate must have offered Mathematics and Physics in B.Sc. level,
	e) For admission in Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Science at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.
	f) For admission in M.A./M.Sc. Statistics, a candidate must have offered Statistics or Mathematics at B.Sc./B.A. level.
**	g) For admission in M.A. Home Science a candidate must have offered Home Science at B.Sc./B.A. level.
**	h) For admission in M.A. Chhattisgarhi, a candidate must have a graduate of any discipline.
	(iii) A candidate who has obtained Bachelor of Commerce (B.Com.) Degree of this University or of statutory University as equivalent to Bachelor's Degree shall be eligible to seek admission in M.Com. Courses of the University.
3.	Every candidate thus admitted shall pursue regularly the prescribed courses in each of the four semesters successively. The Masters Degree shall be awarded to those candidates who have obtained at least 36% marks in cumulative aggregate in each of four semesters in theory and practical courses separately and a minimum of 20% qualifying marks in each theory course. The successful candidate shall be placed in divisions on the following basis:



PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR

	An aggregate of 60% or above-I Division
	An aggregate of 48% or above – II Division
	An aggregate of 36% or above – IIIDivision
4.	<p>A student failing to appear or securing less than 36% aggregate or obtained less than 20% marks in any of the theory course of I, II & III semester examinations shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I, II, III or IV semesters and their scheme of examination shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination.(ii) A student who has failed in ATKT/ reexamination shall reappear as ex-student.(iii) A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination or debarred to take examination due to short attendance or any other reasons, then he/she shall have to take re-admission and appear at that examination.(iv) ATKT provision shall be in three papers of one semester with maximum three attempts only (1 main + 2 ATKT).(v) The provision of revaluation will not be available; however, a student may apply for re-totaling.
5.	<ul style="list-style-type: none">a) There shall be 20% internal and 80% external evaluation in both theory and practical examinations.b) The examination and evaluation shall be on internal/external basis. The theory papers may be examined externally up to 50% maximum. Practical examination shall be conducted jointly by internal and external examiners.
6.	The examination for the first and the third semester shall ordinarily be completed by the end of December and examinations for the second and the fourth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year.
7.	The examination shall be held in all subjects as approved by the University from time to time.
8.	There shall be no provision for division improvement under the examinations of this ordinance
9. *	<p>The matters not covered in Acts Ordinance shall be governed by the Ordinance No.5 & 6 and other provisions of the University rules. The students of M.A./M.Sc./M.Com/MSW(Master of Social Work) classes will be permitted to use calculators in the Examination hall on the following conditions :</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Student will bring their personal Calculators.(b) Calculators with memory and following variables be permitted; Plus, minus, multiplication, division, square, reciprocal, exponential, log, square-root, trigonometric functions, viz, sine, cosine, tangent etc. However, under any circumstances programmable calculators shall not be permitted.

* Approved by the 21st Co-ordination committee at its meeting held 29-01-2013.

** Approved by the 22nd Co-ordination committee at its meeting held 29-06-2013.

:कार्यालयीन टीप:

विषय:— 0.50 से 0.14 परफार्मेंस इन्डेक्स प्राप्त महाविद्यालयों के संबंध में कार्यवाही बावत्।

पं. रविशंकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 120 अशासकीय महाविद्यालय का परफार्मेंस इन्डेक्स सत्र 2012-13 में विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा "परफार्मेंस इन्डेक्स प्रोफॉर्म" के आधार पर गणना किया गया। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक परफार्मेंस इन्डेक्स वाले महाविद्यालय "सेन्ट थॉमस महाविद्यालय भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)" को 01 मई 2014 को ट्राफी प्रदान की गई।

71 महाविद्यालयों का परफार्मेंस इन्डेक्स 0.50 से 0.14 पाया गया। प्रत्येक महाविद्यालय को परफार्मेंस इन्डेक्स की समरी प्रपत्र के साथ दिनांक 23.10.2013 को सूचित किया गया कि महाविद्यालय में पाई गयी कमियों को पूरा करें।

पुनः प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य को दिनांक 28.02.2014 को स्मरण पत्र ई-मेल द्वारा भेजकर परफार्मेंस इन्डेक्स में वृद्धि की सूचना विश्वविद्यालय को भेजने हेतु लिखा गया।

इसी क्रम में पुनः दिनांक 20.03.2014 को सभी महाविद्यालयों के अध्यक्ष शासी निकाय को ई-मेल द्वारा पत्र भेजकर परफार्मेंस इन्डेक्स में वृद्धि की सूचना विश्वविद्यालय को भेजने हेतु लिखा गया।

10 महाविद्यालयों के परफार्मेंस इन्डेक्स में वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है।

वर्ष 2013 से 2014 के बीच 37 महाविद्यालयों ने सहायक प्राध्यापक तथा कार्यालयीन कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु परिनियम 28 के तहत विज्ञापन का अनुमोदन डी.सी. डी.सी. विभाग से कराकर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की।

Performance Index of Non-Government Affiliated Colleges to Pt. Ravishankar Shukla University

Performance Index Range	No. of Colleges
0.90 to 0.81	5
0.80 to 0.66	14
0.65 to 0.51	32
0.50 to 0.14	71
Total	122

Performance Index = Total Score Obtained by the College / Total Score



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

**Performance Index of Non-Government Affiliated Colleges to
Pt. Ravishankar Shukla University**

(0.90 to 0.81)

S.No.	Name of the College	Perormance Index
1	St. Thomas College, Bhilai, Dist-Durg (CG)	0.91
2	Mansa College of Education, Kohka Road, Kurud Bhilai (CG)	0.85
3	Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Sect-6, Bhilainagar, Dist-Durg (CG)	0.84
4	Sai Mahavidyalaya, Bhilai Dist- Durg (CG)	0.83
5	Kalyan Post Graduate College, Sector-7, Bhilainagar Durg (CG)	0.82



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

**Performance Index of Non-Government Affiliated Colleges to
(0.80 to 0.66)**

S.No.	Name of the College	Perormance Index
1	Neta Ji Subhas College, Belbhata, Abhanpur	0.78
2	Swami Shri Swaroopanand Saraswati Mahavidyalaya, HUDCO, Bhilai (CG)	0.77
3	Pt. Harishankar Shukla Smriti College Shankar Nagar Raipur	0.76
4	Arts & Commerce Girls College Devendra Nagar Raipur (CG)	0.76
5	Seth R.C.S. Arts & Commerce College, Durg	0.75
6	G.S. Arya Girls College, Durg (CG)	0.73
7	Disha College Ram Nagar Raipur (CG)	0.73
8	Pragati Mahavidyalaya Central Avenue Choube Colony Raipur CG	0.72
9	Bhilai Maitri College, Risali Sector Bhilai (CG)	0.69
10	AVS Presidency Internationa, College, Raipur (CG)	0.68
11	Apollo College, Oppt. Vetnory College Anjora Durg (CG)	0.68
12	GD Rungta College of Science & Technology Kohka Kurud Road Bhilai (CG)	0.67
13	Nagrik Kalyan Mahavidyalaya, Nandini Nagar, Dist-Durg (CG)	0.67
14	Seth Phoolchand Agrawal Smriti College Nayapara (Rajim) (CG)	0.66



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

**Performance Index of Non-Government Affiliated Colleges to
(0.65 to 0.51)**

S.No.	Name of the College	Performance Index
1	Kruti Institute of Business Mgmt. Nardaha Raipur	0.64
2	Durga Mahavidyalaya Moudhapara Raipur	0.64
3	Maharaja Agrasen International College, Raipur (CG)	0.64
4	Shail Devi Mahavidyalaya, Anda, Durg (CG)	0.64
5	Shiva College Supela Bhilai	0.63
6	Agrasen Mahavidyalaya, Raipur (CG)	0.63
7	Bhilai College of IT, Ward No-04, Jamul, Bhilai, Durg	0.62
8	Ramchandi Mahavidyalaya, Saraipali, Mahasamund (CG)	0.62
9	Gurukul Mahila Mahavidyalaya Kalibadi Chowk Raipur (CG)	0.62
10	St. Vincent Pallotti College Kapa Raipur (CG)	0.62
11	Chhattisgarh Vanijya & Vigyan Mahavidyalaya, Sec-6, Bhilai Dist-Durg (CG)	0.61
12	Institute of Technology and Science, Gariaband (CG)	0.61
13	Sandipani Academy, Education College, Achhoti Durg (CG)	0.60
14	M.J. College of Information Technology Bhilai	0.60
15	Mahant Laxminarayan Das College, Gandhi Chowk Raipur (CG)	0.60
16	Vipra Mahavidyalaya Raipur (CG)	0.59
17	Vivekanand Institute of Education Kota Raipur (CG)	0.59
18	Smt. P.G. Daga Girls College Raipur	0.59
19	Dev Sanskriti College of Education & Technology, Khapri, Dhamdha road Durg	0.58
20	Kalindi Shiksha Mahavidyalaya, Lalpur Raipur	0.58
21	Rungta College of Science & Technology Ganjpara Durg (CG)	0.56
22	Adarsh Arts, Commerce & Science College Raipur	0.55
23	Disha College of Management Studies, Satya Vihar Campus Raipur (CG)	0.55

S.No.	Name of the College	Perormance Index
24	Aryavart Shiksha Mahavidyalaya, Ruabandha, Bhiali Dist-Durg (CG)	0.55
25	Vivekanand Mahavidyalaya, K.K. Road Moudhapara Raipur (CG)	0.55
26	Seth Badrila Khandelwal Shiksha Mahavidyalaya, Durg (CG)	0.54
27	B.M. College, Durg (CG)	0.54
28	Mahatma Gandhi College, St. Road Raipur (CG)	0.53
29	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Profesional Studies Pacheda, Naya Raipur	0.53
30	Shree Ram College of Education, Rajnandgaon (CG)	0.53
31	Jai Hind College, Mahasamund	0.52
32	Seth Suganchand Surana College, Durg (CG)	0.51



**Performance Index of Non-Government Affiliated
(0.50 to 0.14)**

S.No.	Name of the College	Permormance Index	New Permormance Index
1	R.K.S. College of IT Tilda, Kharora Road, Tilda (CG)	0.50	
2	Central College of IT, Fafadih Raipur (CG)	0.50	
3	Samrat Ashoka College of I.T. Kawardha, Dist-Kabirdham (CG)	0.50	
4	Confluence College of Higher Education, Rajnandgaon (CG)	0.50	
5	Bharti College (BIIT) Durg (CG)	0.49	0.51
6	Kanti Darshan College of Education Kosa Nagar Supela Bhilai	0.49	0.53
7	Chhattisgarh Kalyan Shiksha Mahavidyalay Nandini Road Durg (CG)	0.49	0.55
8	C.I.T . B.Ed. College Naya Raipur Abhanpur (CG)	0.49	
9	Shri Rawatpura Sarkar Institute near powergrid Kumhari, Dist-Durg (CG)	0.48	
10	Uday College Near ACC Bogda Pool Nandini Road Bhilai (CG)	0.48	
11	K.D. Rungta College of Science & Technology Atari Raipur (CG)	0.48	
12	Shambhavi School of Education Vill-Dhusera, Abhanpur, Raipur	0.47	
13	RITEE College of Management, Chhatauna Mandir Hasaud Raipur	0.46	
14	Vande Matram College, Dhamtari	0.46	
15	Vikas Shiksha Mahavidyalaya Fudahar Marg Dumartarai Raipur	0.46	0.5
16	Gracious College of Education, Belbhata, Abhanpur (CG)	0.46	
17	PG Institute of Behavioural & Medical Sciences Opp. Rajkumar CollSwami Atmanand Marg, Raipur (CG)	0.45	0.52

S.No.	Name of the College	Permormance Index	New Permormance Index
18	Central College of Education, Gram-Tulsi, Mandir Hasaud, Raipur (CG)	0.45	
19	Platinum College of Professional Studies, Raipur	0.45	0.452
20	Jagatguru Shankaracharya, College of Education, Hudco Bhiali, Dist-Durg	0.45	
21	Century Cement Degree College, Baikunth (CG)	0.44	
22	D.A.V. MODEL College, Bhilai	0.44	0.5
23	Chhattisgarh Mahtari College Bhakhara, Dhamtari	0.42	
24	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Professional Studies, Kumhari Dist-Durg	0.42	
25	Spectrum College of Education Nardaha, Tah-Arang, Raipur (CG)	0.42	
26	Shantri Bai Arts, Commerce & Science College, Mahasamund	0.41	
27	Central India Institute, Dewada, Rajnandgaon (CG)	0.41	
28	Atar Singh Mahavidyalaya, Model Town Bhilai Dist-Durg (CG)	0.40	
29	Bhilai Nair Samajam College, Sector-8, Bhilai (CG)	0.39	
30	Arya Bhatt College, Kopra (Rajim) (CG)	0.39	
31	Rungta Institute of Science & Technoloyg Kohka Kurud Road Bhilai (CG)	0.39	
32	Bhoramdeo Mahavidyalay Vill-Pairee, Dist-Balod (CG)	0.39	
33	Khalsa College, Jail Road Durg (CG)	0.38	0.42
34	Maa Bahadur Kalarin Arts & Science College, Gurur, Dist- Balod (CG)	0.38	
35	Pt. Ramsakha Upadhyay College Gudhiyari Raipur	0.38	
36	Shanti Niketan College, Changorabhata Raipur	0.38	
37	Vindhyavasini Arts & Science College, Sanod, Dist- Balod (CG)	0.38	
38	Kalyan Law College Bhilai, Dist-Durg (CG)	0.38	
39	Nanakchand Ramesh Agrawal Arts & Commerce College Kharora	0.38	
40	Takshashila Mahavidyalaya, Bhilai Dist-Durg (CG)	0.36	

S.No.	Name of the College	Permormance Index	New Permormance Index
41	Seth Ratanchand Surana Law College, Durg (CG)	0.36	0.37
42	Kamlakant Shukla Institute Bhatapara (CG)	0.35	0.45
43	Pratibha College of Education Village-Balsi, Saraipali (CG)	0.35	
44	Alliance Institute of Commerce and Management, Sec-06, Bhilai	0.35	
45	Dr. Rajendra Prasad College, Risali, Bhilai, Dist-Durg	0.34	
46	Gurukul Mahavidyalaya, Magarlod, Dist-Dhamtari (CG)	0.34	
47	Om Shri Sainath Mahavidyalaya Parastarai Dharsiwa, Raipur (CG)	0.33	
48	Shiksha Snatak Mahavidyalaya, Mandhar, Dist-Raipur (CG)	0.33	
49	Alshums Infotech College, Nagri, Dist-Dhamtari (CG)	0.32	0.47
50	Kachna Dhruwa College Chhura , Dist-Gariyaband (CG)	0.32	
51	Mata Karma Kala Commerce and Science college Gunderdehi, Balod	0.31	
52	Pt. K.L.S. Law College, Rajnandgaon (CG)	0.30	
53	Ramkrishna Institute of Education Sundar Nagar Raipur (CG)	0.30	
54	Genesis College of Higher Education, Dhamtari (CG)	0.29	
55	Arts College, G jamgaon Dist-Dhamtari (CG)	0.29	
56	Royal College, Lalbagh, Rajnandgaon (CG)	0.28	
57	Sant Rajaram Sadani Nagrik College, Dondilohara, Dist- Balod (CG)	0.28	
58	Indian Institute of Commerce & Busines, Bhilai Dist-Durg	0.28	
59	Institute of National & Foreign Languages, Bhilai, Atharv IT, Durg, Dist-Durg (CG)	0.27	

S.No.	Name of the College	Permormance Index	New Permormance Index
60	Rajnandgaon College of Commerce & Information Technology, Rajnandgaon (CG)	0.27	
61	Comp-Tech College , Dhamtari	0.26	
62	Paity Ganga College, Mainpur Dist-Raipur (CG)	0.26	
63	Beliram Arts & Commerce College, Bhilai, Dist-Durg (CG)	0.26	
64	Vivekanand College Nara, Bhansoj, Raipur	0.24	
65	Pragya Arts & Commerce College, Dhamtari (CG)	0.24	
66	Bhilai School of Education & Research Chandkhuri, Durg	0.23	
67	Aviva Info Tech College, Polic Line Byron Bazar Raipur (CG)	0.21	
68	Udanti College Devbhog, Dist-Gariyaband (CG)	0.20	
69	Unique College of I.T., Kawardha Dist-Kabirdham (CG)	0.16	
70	Elegant College, Near Motinath Mandir Parisar, Rajnandgaon (CG)	0.14	
71	Abhyudaya College, Chandkhuri, Raipur (CG)	0.14	



दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष नं. 0771-2523753 फ़ैक्स 2884300 वेबसाइट www.durgacollege.in

ई-मेल principal@durgacollege.in, info@durgacollege.in, enquiry@durgacollege.in

क्रमांक..... 29/2924/13

दिनांक..... 01/11/2013


प्रति,

माननीय कुलपति महोदय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- एम.फिल. वाणिज्य/राजनीति विज्ञान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एम.फिल. वाणिज्य/राजनीति विज्ञान के संबंध में आपसे दूरभाष से हुई चर्चा के अनुसार वांछित जानकारी प्रेषित की जा रही है।


01.11.13

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
PRINCIPAL,
DURGA MAHAVIDYALAYA
RAIPUR. (C.G.)





पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 1431 /अका./2004

रायपुर

दिनांक 10/08/2004

प्रति,

प्राचार्य,
दुर्गा महाविद्यालय,
रायपुर


विषय:- महाविद्यालय में स्ववित्तीय आधार पर एम.फिल.(वाणिज्य) प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विषयांकित पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.07.2004 में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उपरोक्त पाठ्यक्रम में छात्रों की प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की गई है।

कृपया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें।

भवदीय,


(ए.मि.ज.)
कुलसचिव

To,

The President
Durga Education Society
Raipur (C.G.)

Through the Principal, Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)

Subject: - Budgeted Income Expenditure Statement of M.Phil. (Self Financed),
Department of Political Science for the Session 2002-03

Sir,

We are happy to inform you, that we have fulfilled all the formalities for successfully running the **M.Phil Course**, which has been given by Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur (C.G.) to the Department of Political Science. For the above said course the amount which has been raised as fees is utilized in the following heads:-

40 students have taken admission in the course

Fee per student is Rs. 4130/-

1, 65,200.00

Heads of Expenditure

1. Payment to the college 580 Rs. per Student X 40 students	23,200.00
2. Payment to R.S. University 550 Rs. per Student X 40 Students	22,000.00
3. Payment to M.Phil. Committee 3000 Rs. Per Student X 40 Students	1, 20,000.00

TOTAL AMOUNT

1, 65,200.00

M.Phil Committee's Expenditure

1, 20,000.00

1. Honorarium payable to Associate Prof. (Approx. 170 days of Study per day 3 periods) 170 days X 3 periods = 510 periods 510 periods X 100 Rs. Per period	51,000.00
2. Seminar / Group Discussion etc. 10 Seminars X 500 Rs.	5,000.00
3. 2 Political Survey's X 4000 Rs. per Survey	8,000.00
4. Traveling Allowance (for subject experts)	8,000.00
5. Coordinators Allowance	5,000.00
6. Library Development Fund	13,000.00
7. Contingency Fund (Stationary Xerox etc.)	5,000.00
8. Clerk and Typist (@ 300 p.m. for 10 months) 3,000.00 Peon (@ 200 p.m. for 10 months) 2,000.00	5,000.00

TOTAL AMOUNT OF EXPENDITURE

1, 00,000.00

TOTAL SAVINGS

20, 000.00

Respected Sir,

As per the proposal we have submitted at the time of taking permission for M.Phil, Political Science. The amount of the M.Phil. Committee has to be managed by the Principal and the Coordinator jointly.

Thanking you,

Faithfully yours



Dr. Ajay Chandrakar
Coordinator & HOD
Dept. of Political Science
Durga Mahavidyalaya
RAIPUR (C. G.)

Enclosed herewith

- 1 Correspondence with the University.
- 2 Fee details

अन्वीक्षण समिति का प्रतिवेदन

आज दिनांक 13.03.2002 को
पुरा महाविद्यालय में एम. फिल. राजनीतिशास्त्र
में संचालित करने हेतु परीक्षा समिति
द्वारा निरीक्षण किया गया। समिति ने
स्थाप, भवन सुविधा, पुस्तकालय (खम कम
आवश्यक विभिन्न पदार्थों पर विचार कर
सर्वसम्पत्ति से कागजी लग से एम. फिल
कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु कंपनी अनुशासन
विभाग विद्यालय को प्रेषित करी है।

वर्तमान में उपलब्ध प्राध्यापकों
की संख्या, भविष्य में कितनी भी स्थिति में
कम न की जावे। गुणवत्ता बनाये रखने हेतु
भविष्य में कम प्राध्यापकों की नियुक्ति की
जाने की अनुशासन भी यह समिति करती है।

Rohi
श्री रामलाल भारद्वाज

हस्ताक्षर
डॉ. शीता तिवारी 13.03.2002

सुपल भारद्वाज
डॉ. सुपल किशोर भारती


✓

- :: प्रतिवेदन :: -

दुर्गा महाविद्यालय, राधपुर द्वारा प्रस्तावित स्वीचलतीय आधार पर कुनाई, 2002 से सम्.पिफ्ल. राजनीतिविज्ञान हेतु अनुमति समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करने की अनुमति करती है। चूंकि विषयविद्यालय में राजनीतिविज्ञान विषय का अध्यापन/अध्यापन नहीं होता है अतः स्वीचलतीय आधार दुर्गा महाविद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के साथ संवाहन की अनुमति प्रदान करती है :-

- § 1§ स्वीचलतीय आधार पर सम्.पिफ्ल. राजनीतिविज्ञान के प्रेषित छात्रों का कुनाई की अधिदन की शालिका के अनुसार विषयविद्यालय को देव होगा; तैरिधित कुनाई महाविद्यालय द्वारा माह अक्टूबर तक विषयविद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
- § 2§ स्वीचलतीय आधार पर सम्.पिफ्ल. राजनीतिविज्ञान हेतु सम्न्वयक दुर्गा विद्यालय के विभागाध्यक्ष राजनीतिविज्ञान होंगे।
- § 3§ सम्न्वयक के सहयोग हेतु विषयविद्यालय प्रीव गडे ली शिही प्राध्यापक को नियुक्त कर सकता है।

यह समिति यह निर्दिशत करती है कि स्वीचलतीय आधार पर प्रारंभ किए जा रहे सम्.पिफ्ल. के विलतीय अधिकार हेतु सम्न्वयक तथा कुनाई को अधिदृत किया जाता है, साथ साथ ही साथ यह भी निर्दिशत किया जाता है कि उक्त मद का एक अलग फण्ड हो।


डॉ. ओ. पी. गार्गा 25/01/2002


डॉ. युगल भारती
25/1/0



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

दूरभाष : (0771) 262540 (0)

फैक्स : (0771) 262583

: (0771) 262857

: (0771) 262818

ईमेल : comprsu@bomb.vsnl.net.in

दिनांक

क्रमांक/2607/अका./सम्ब./2002

रायपुर दिनांक 06 जुलाई 2002

प्रति,

प्राचार्य,
दुर्गा महाविद्यालय,
रायपुर .


विषय:- महाविद्यालय में स्ववित्तीय आधार पर एम. फिल राजनीति विज्ञान को प्रारंभ करने की स्वीकृति बाबत ।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विषयांकित पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.06.2002 में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय की ओर से मुख्य समन्वयक मनोनीत किया जाएगा । इसकी सूचना पृथक से दी जाएगी ।

कृपया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें ।


कुलसचिव 6/7/02